

परिपत्र

विभाग: शिकायत सेल
04.08.2010

विषय: शिकायत निवारण नीति में संशोधन

कंपनी की शिकायत निवारण नीति में निम्नलिखित संशोधन किये गए हैं जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में लागू करने के लिए परिचालित किया गया है। इरडा के दिनांक 27.07.2010 के पत्र सन्दर्भ संख्या 3/सी ए/जी/आर पी बी /10-11 के निर्देशानुसार जारी किए गए, इन संशोधनों को 01.08.2010 से प्रभावी माना जायेगा और शिकायत का निराकरण समय सीमा में करके आईआरडीए को अवगत कराया जायेगा।

<u>समय में परिवर्तन</u>	<u>मौजूदा नीति के अनुसार</u>	<u>आईआरडीए के दिशानिर्देश संशोधन</u>
पावती भेजने के लिए	5 दिन	3 दिन
यदि शिकायत निवारण तत्काल हो जाये तो उसे पावती के साथ भेजे	5 दिन	3 दिन
शिकायत निवारण के लिए अंततः	4 सप्ताह	2 सप्ताह

यदि बीमित की ओर से कोई जवाब समय सीमा के अंदर नहीं आता तो शिकायत को सामाप्त माना जायेगा	12 सप्ताह	8 सप्ताह
--	-----------	----------